न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – डॉ दिनेश राय सापेला, RAS

प्रकरण संख्या : 15/2023
जी.सी.एम.एस नं. :2023/20

अभियुक्त :–

सरकार जरिये श्री दिलीप सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बांसवाडा हाल सिरोही (राज.)

बनाम

1. श्री अकिल पुत्र श्री कुर्बानजी बोहरा मैसर्स रॉयल आईसक्रीम, नई आबादी सैफीपुरा, बॉसवाडा (राज.)
2. श्रीमती हर्षिता पत्नी मनोज दोसी, दोसी मार्केटिंग कंपनी, जीपीओ सर्कल, रतलाम रोड, बांसवाडा (राज.)

उपस्थित :–

श्री दिलीप सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बांसवाडा हाल सिरोही (राज.)

श्री अकिल पुत्र श्री कुर्बानजी

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 05–01–2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा हाल सिरोही (राज.) के द्वारा दिनांक **09–02–2023** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **13–06–2022** को 11.00 ए.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु **मैसर्स रॉयल आईसक्रीम, नई आबादी सैफीपुरा, बॉसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री अकिल पुत्र श्री कुर्बान बोहरा** उपस्थित थे। निरीक्षण करने पर विक्रेता की दुकान पर एक फ्रिजर में करीब 100 पीस प्रत्येक 70 एम.एल. आइसक्रीम (हेवमोर मेंगो डोली) आम जनता को विक्रय हेतु पाया गया। इसमें मिलावट का संदेह होने पर विक्रेता को [illegible] की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर सूचना देते हुए **आम जनता को बिक्री हेतु रखे आइसक्रीम**

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.01.09 10:02:48 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

(हेवमोर मेंगो डोली) मे से 12 पीस वास्ते नमुना जॉच हेतु विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में खरीदा तथा इनकी कीमत 240 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में चार लेबल तैयार किये गये, जिस पर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाडा का कोड क्रमांक W- 1106 लिखा व नमुने का विवरण अंकित किया गया। विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **आइसक्रीम (हेवमोर मेंगो डोली) को चार साफ, सुखे व खाली चौडे मुह की शिशी में बराबर–बराबर मात्रा में भरकर फार्मेलीन की 20–20 बूंद प्रत्येक में डालकर शिशी का मुह ढक्कन की सहायता से कसकर एयर टाईड बन्द किया तथा चारो नमूना भाग को नियमानुसार सील बन्द किया।** उक्त चारो नमुनो को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर, हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढकर, सुनकर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। उपरोक्त सभी कार्यवाही गवाह एवं विक्रेता के सामने मौके पर ही की गई है। मौका फर्द रिपोर्ट असल प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। मौका फर्द पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर की थी। मौके पर बिल नही होना बताया बिल की प्रति बाद में पेश की जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियाँ तैयार की तथा प्रत्येक पर नमूना [illegible] नमूना सील मोहर थी। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति [illegible] चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर, दो फार्म नं.6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.01.09 10:02:48 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

दो सील बन्द नमुना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतियाँ आउटकवर में चपडी से सील बन्द कर सील मोहर कर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाडा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करा रसीद प्राप्त की जिसकी असल प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

अभिहित अधिकारी डीओ एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/237–238 दिनांक 28.06.2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 592 दिनांक 22.06.2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **आइसक्रीम (हेवमोर मेंगो डोली)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है। अग्रेषण पत्र मय जाँच रिपोर्ट असल प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है, जिसकी सूचना विक्रेता को भी दे दी गई है। नमुने की पुनः जाँच हेतु अपील नही की गई है, जिस पर नमूना पुनः जाँच हेतु रेफरल खाद्य प्रयोगशाला नही भिजवाया गया है।

वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **आइसक्रीम (हेवमोर मेंगो डोली)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाये जाने से विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 13–02–2[illegible] जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 1[illegible] बाद तामील प्रस्तुत हुए। अप्रार्थी सं.1 उपस्थित रहे, अप्रार्थी सं.2 अनुपस्थित रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.01.09 10:02:48 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

दिनांक 10.04.2023 को अप्रार्थी सं. 2 की ओर से श्री विपुल जोशी अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ एवं जवाब हेतु समय चाहा। दिनांक 30–05–2023, 19–06–2023, 04–07–2023, 21–07–2023, 17–08–2023 को अप्रार्थीगण अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजुद भी जवाब प्रस्तुत नही करने एवं अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगणो के जवाब बंद किये गये। दिनांक 05–09–2023, 26–09–2023, 13–10–2023, 11–12–2023 को भी अप्रार्थीगण स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे।

दिनांक 05–01–2024 को अभियुक्त सं.1 **श्री अकिल पुत्र श्री कुर्बानजी बोहरा** ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

आज दिनांक 05–01–2024 को अभियुक्त सं.2 स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित है। अभियुक्त सं.2 एवं उनके अधिवक्ता को बार–बार रुक–रुक कर सायं 4.00 बजे तक आवाज लगवाई गई किन्तु अभियुक्त सं.2 स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। अभियुक्त सं. 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर विभागीय पैरोकार की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय बहस सुनी। विभागीय पैरोकार ने कथन किया कि दिनांक **13–06–2022** को 11.00 ए.एम. बजे [illegible]कारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु **मैसर्स रॉयल आईसक्रीम, नई आबादी, सैफीपुरा, बांसवाड़ा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री अकिल पुत्र श्री कुर्बान बोहरा** [illegible] करने पर विक्रेता की दुकान पर एक फ्रिजर में करीब **100 पीस प्रत्येक 70 एम.एल आइसक्रीम (हेवमोर मेंगो डोली)** आम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.01.09 10:02:48 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

जनता को विक्रय हेतु पाया गया। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर सूचना देते हुए आम जनता को बिक्री हेतु रखे आइसक्रीम (हेवमोर मेंगो डोली) मे से 12 पीस वास्ते नमुना जॉच हेतु विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में खरीदा। अप्रार्थी सं.1 द्वारा दोसी मार्केटिंग कं. बांसवाडा से उक्त खाद्य पदार्थ आइसक्रीम (हेवमोर मेंगो डोली) क्रय किये जाने बाबत् बिल इन्वॉईस नं 837 दिनांक 09.06.2022 पेश किया। जिस पर अभियुक्त सं.2 को पक्षकार बनाया गया है। दोसी मार्केटिंग कं. बांसवाडा को पत्रांक दिनांक 11–10–2022, 23–01–2023 से विक्रित खाद्य पदार्थ को किसी विक्रेता/निर्माता से क्रय किये जाने पर उससे प्राप्त बिल की फोटो प्रति चाहने लिखे जाने के बावजुद संबंधित द्वारा कोई बिल प्रस्तुत नही किया गया। अभिहित अधिकारी डीओ एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/237–238 दिनांक 28.06.2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 592 दिनांक 22.06.2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **आइसक्रीम (हेवमोर मेंगो डोली)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है। अग्रेषण पत्र मय जाँच रिपोर्ट असल प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है, जिसकी सूचना विक्रेता को भी दे दी गई थी। नमुने की पुनः जॉच हेतु अपील नही की गई है, जिस पर नमूना पुनः जॉच हेतु रेफरल खाद्य प्रयोगशाला नही भिजवाया गया। वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **आइसक्रीम (हेवमोर मेंगो डोली)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाये जाने से विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम [illegible] व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर [illegible] अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.01.09 10:02:48 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त सं.1 को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी डीओ एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस. ए/2022/237–238 दिनांक 28.06.2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 592 दिनांक 22.06.2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **आइसक्रीम (हेवमोर मेंगो डोली)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त सं1 द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नही होती हैं। अभियुक्त सं. 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। अब हम इस प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड किया गया **आईसक्रीम (हेवमोर मेंगो डोली)** विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। आरोपीगणो को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अभियुक्त सं 1. **श्री अकिल पुत्र श्री कुर्बानजी बोहरा मैसर्स रॉयल आईसक्रीम, नई आबादी सैफीपुरा के पास, बॉसवाडा** को रूपये 15000/– (अक्षरे रू. पन्द्रह हजार [illegible]) [illegible] 2 **श्रीमती हर्षिता पत्नी मनोज दोसी, दोसी मार्केटिंग कंपनी,** [illegible] **सर्कल,** [illegible] **रोड, बांसवाडा** को रुपये 50,000/– (अक्षरे पचास हजार मात्र) [illegible] दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.01.09 10:02:48 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

तथा लोक स्वास्थ्य, 04—लोक स्वास्थ्य, 800—अन्य प्राप्तियां, (03)—खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा—पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2024 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.01.09 10:02:48 IST
Reason: SelfAttested